

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 527 / 16-17

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जोसेफ कन्दुलना

- विक्रेता

बहामनी कन्दुलना

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

31.07.18

आदेश

आवेदक जोसेफ कन्दुलना पिता स्व० निर्मल कन्दुलना ग्राम रनियाँ, थाना रनियाँ, जिला खूँटी ने बहामनी कन्दुलना पति श्री अतनासियुस तोपनो ग्राम रनियाँ, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
रनियाँ	138	64	317	0.30

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ निबंधन पट्टा एवं लगान की रसीद सं० 0795420 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के पत्रांक 302(ii) दिनांक 30.08.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मसीह दास मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार सन्तोशी मुण्डा वगैरह के नाम 3.34 एकड़ हैं। आवेदक के हिस्से में कुल रकबा 3.34 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 तक किया गया है। भूमि का प्रस्तावित दर 5250.00 (पाँच हजार दो सौ पचास) रू० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.01 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना रनियाँ के निवासी हैं एवं एक ही जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के द्वारा अनुशंसा किया गया है। अतः भूमि वि क्रय की अनुमति प्रदान की जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जोसेफ कन्दुलना पिता स्व० निर्मल कन्दुलना को बहामनी कन्दुलना पति श्री अतनासियुस तोपनो के साथ ग्राम रनियाँ के खाता सं० 64, खेसरा संख्या 317 का रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5250.00 (पाँच हजार दो सौ पचास)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, रनियाँ के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।